

Ref. No. PC/WM-B/14/2024 (Part file)-

Ranchi, dated-.....

### Public Notice

अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, नवीकरण और पुर्नचक्रण में सम्मिलित सभी उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, इकाई, (रसायन, आकार, मात्रा, भार, सामग्री संघटन और उपयोग पर ध्यान दिये बिना सभी प्रकार की बैटरी) को सूचित किया जाता है कि अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 (Battery Waste Management Rules, 2022) के तहत सभी बैटरी पुर्नचक्रणकर्ता (Recycler) एवं नवीकरणकर्ता (Refurbisher) जो झारखण्ड राज्य में अवस्थित है, को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पषद द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जाना है एवं सभी अपशिष्ट बैटरी उत्पादको (Producer) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पषद (CPCB) से रजिस्ट्रेशन किया जाना है।

उक्त के आलोक में सभी बैटरी उत्पादक, पुर्नचक्रणकर्ता, नवीकरणकर्ता को [www.eprbatteryapcb.in](http://www.eprbatteryapcb.in) पर जा कर पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। अपशिष्ट बैटरी पंजीकरण की मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) पषद के website [www.jspcb.in](http://www.jspcb.in) पर उपलब्ध है।

(यतीन्द्र कुमार दास)  
सदस्य सचिव